

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(22/19)/2019/

दिनांक:-

:-संशोधित आदेश:-

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-20/म0स्वा0का0/2014/871 दिनांक 21.07.2014 द्वारा (क्रम सं 3 पर अंकित) श्रीमती मोहिनी चौधरी, अति. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अधीन उप स्वास्थ्य केन्द्र मीठडा खुर्द खण्ड धौरीमना, बाडमेर को उनकी स्वय की प्राथना पर स्वीकृत अध्ययन अवकाश में निम्नानुसार संशोधन कर स्वीकृत अध्ययन अवकाश की निरन्तता में आर.एस.आर. के नियम-112 के तहत निम्नानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

पूर्व में स्वीकृत अवकाश अवधि	संशोधित अवकाश अवधि
1. दिनांक 31.01.2016 से 02.10.2016 तक 246 दिवस का असाधारण अवकाश।	1 दिनांक 31.01.2016 से 02.04.2016 तक 63 दिवस का असाधारण अवकाश। 2. दिनांक 14.05.2016 से 12.11.2016 तक 183 दिवस का असाधारण अवकाश।

निदेशालय के आदेश दिनांक 21.07.2014 में अंकित शेष अवकाश अवधि यथावत रहेगी।

१ -

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(22/19)/2019/646

दिनांक:-22/4/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, धौरीमना, बाडमेर।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

१

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर